(a) whether Government propose to modernise the country's tax administration system;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of bottlenecks found in the existing tax system; and

(d) to what extent the modernisation of tax administration system is going to boost tax revenue and to unearth tax evaders?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) Matters relating to rationalisation and modernisation of tax laws and their administration were considered by the Tax Reforms Committee set up under the chairmanship of Dr. Raja J. Chelliah. Recommendations made by the Committee on technical matters in so far as they were considered to be acceptable have been implemented through the Finance Acts, 1992, 1993 and 1994.

(d) It is expected that moderation in rates of tax, simplicity of the tax laws and strict but fair enforcement will go a long way in further increasing collection as also in discouraging tax evasion.

Income-Tax raids in Madhya Pradesh

3401. SHRI GHUFRAN AZAMI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Income tax Department conducted raids at various business establishments in Madhya Pradesh during the last one year.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have awarded any punishment to the involved tax evaders; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Yes, Sir. During the financial year 1994-95, 58 search warrants were executed in the State of Madhya Pradesh resulting in seizure of unaccounted assets worth Rs. 1579.92 lakh and disclosure of Rs. 1168.05 lakh.

(c) and (d) Punitive measures including penalty and prosecution can be considered only after finalisation of regular assessment proceedings which are in progress.

Report of Fifth Pay Commission

3402. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether persistent demand has been made by Government servants for the Vth Pay Commission to render its report before April, 1995;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the number of demands received by the Commission in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (c) The Fifth Central Pay Commission has received requests from some Unions/Associations of Central Government employees for submission of its Report by the end of April, 1995. The Pay Commission have indicated that it is not possible to state the exact number of demands received in this regard.

(b) In accordance with the Terms of Reference, the Commission will make its recommendations as soon as feasible.

Report of Malhotra Committee

3403. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

The response of Government on the All party unanimous resolution adopted by the West Bengal State Assembly disapproving the recommendations of the Malhotra Committee report on insurance sector reforms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): The recommendations of the Malhotra Committee report are under consideration of the Government.

बिहार को आबंटित राशि

3404. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत व्यय हेतु कितनी राशि आबंटित की गई थी ;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न मदों के अंतर्गत इस तरह आबंटित राशि में से बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया और कितनी राशियों केन्द्रीय सरकार को वापिस की गई;

(ग) क्या नये आबंटन में इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो सरकारें राशियों का समुचित उपयोग नहीं करती है उन्हें राशि न दी जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) किसी राज्य को केन्द्रीय योजना के लिए सहायता समग्र योजना परिव्यय के वित्तपोषण के लिए सकल अनुदान और सकल ऋण के रूप में प्रदान की जाती है और इसका संबंध किसी विशेष कार्यक्रम/योजना से नहीं होता वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से निश्चित किया जाता है : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) और कुछ अन्य योजनाओं/क्षेत्रों के अंतर्गत परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं। यदि कोई राज्य सरकार निर्धारित परिव्यय से अथवा सम्पूर्ण योजना के लिए खर्च कम करती है तो राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में उसी अनुपात में कटौती कर दी जाती है। बिहार की वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना आरम्भ में राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा 2300 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी जिसमें से 868.26 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जानी थी। तथापि बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे संशोधित करके योजन आयोग ने 750 करोड़ रुपए कर दिया था और केन्द्रीय योजना सहायता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था।

(ख) बिहार की वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा 774.26 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी जिसमें से 2202.73 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहयाता दी गई थी। बाद में इस योजना को राज्य सरकार के अनुरोध पर योजना आयोग द्वारा संशोधित करके 1100 करोड़ रुपए कर दिया गया था। राज्य सरकार ने संशोधित परिव्यय की तुलना में 1149.10 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना दी है। यद्यपि वर्ष 1992-93 की योजना के कुल व्यय में कोई कमी नहीं हुई थी तथापि निर्धारित परिव्यय वाली कुछ अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत 8.04 करोड़ रुपए का व्यय कम हुआ था। चूंकि निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक व्यय में कमी हुई थी इसलिए वर्ष 1992-93 की केन्द्रीय सहायता में से राज्य की सामान्य हकदारी से 5.659 करोड़ रुपए की अनुपातिक कटौती कर दी गई थी।

(ग) राशि का आबंटन यह मानकर किया जाता है कि राज्य सरकार योजना पर उतना ही व्यय करेगी जिससे वह सहमत हुई थी और योजना विशिष्ट अनुदान को उसी प्रयोजना के लिए खर्च करेगी जिसके लिए वह मंजूर किया गया था। जैसा कि पैरा (क) के उत्तर में कहा गया है यदि कोई राज्य सरकार निर्धारित/स्वीकृत राशि की अपेक्षा कम व्यय करती है तो केन्द्रीय सहायता को उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। राज्यों को राशि का नया आबंटन एन.डी.सी. की दिसम्बर, 1991 में हुई अपनी बैठक में इसके द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार किया जाता है :